30/04/2024

## शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. एनसीडब्ल्यू का कहना है कि उसके अध्यक्ष, सदस्यों की राजनीतिक संबद्धता पर 'कोई जानकारी नहीं' (30 अप्रैल) (GS PAPER II: वैधानिक निकाय)
2. चुनावों को निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाए रखने की भौतिकी और गणित (30 अप्रैल) (GS PAPER II: भारत में चुनाव)
3. अवर्गीकृत वन (30 अप्रैल) (GS PAPER III: पर्यावरण)
4. वेनिस पर्यटकों से प्रवेश शुल्क क्यों ले रहा है? (30 अप्रैल) (GS PAPER III: पर्यावरण)
5. बचत का विरोधाभास: क्या बचत में वृद्धि निवेश में गिरावट का कारण बनती है? (30 अप्रैल) (GS PAPER III: अर्थव्यवस्था (बचत और निवेश)

## एनसीडब्ल्यू का कहना है कि उसके अध्यक्ष, सदस्यों की राजनीतिक संबद्धता पर 'कोई जानकारी नहीं' (30 अप्रैल) (GS PAPER II: वैधानिक निकाय)

### राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)

- **वैधानिक निकाय: 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत** स्थापित , NCW भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। यह देश में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय के रूप में काम करता है।

**शासनादेश**

एनसीडब्ल्यू के पास व्यापक अधिदेश है जिसमें शामिल हैं:

- **कानूनों की समीक्षा:** महिलाओं के लिए मौजूदा संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच करें, संशोधनों की सिफारिश करें और नए कानून का सुझाव दें।
- **शिकायत और जांच:** महिलाओं के खिलाफ अधिकारों के उल्लंघन और अत्याचार के मामलों का समाधान करना, पूछताछ करना और निवारण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाना।
- **नीति सिफ़ारिशें:** महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।
- **जागरूकता और संवेदनशीलता:** कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के बारे में सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना ।

**संघटन**

- **अध्यक्ष:** एक प्रतिष्ठित महिला, महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त।
- **सदस्य:** केंद्र सरकार द्वारा नामांकित, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के महिलाओं के मुद्दों के विशेषज्ञों के साथ-साथ सामाजिक कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

Patriotic IAS

- **सदस्य सचिव:** एक अधिकारी जो आयोग के प्रशासनिक कार्यों का प्रमुख होता है।

**मुख्य फोकस क्षेत्र**

- **कानूनी सुधार**
- **महिला के विरुद्ध क्रूरता**
- **आर्थिक सशक्तिकरण**
- **राजनीतिक भागीदारी**
- **शिक्षण और प्रशिक्षण**
- **स्वास्थ्य और पोषण**

**एनसीडब्लू से संपर्क कैसे करें**

- **शिकायतें:** अधिकारों के उल्लंघन का सामना करने वाली महिलाएं सीधे एनसीडब्ल्यू के पास डाक, ईमेल या एनसीडब्ल्यू वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
- **अनुसंधान और संसाधन:** एनसीडब्ल्यू वेबसाइट महिलाओं के मुद्दों से संबंधित विभिन्न कानूनों, योजनाओं और रिपोर्टों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

- राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने कहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उसके अध्यक्ष और सदस्य किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं या नहीं।
- यह जवाब सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पूछे गए प्रश्न के उत्तर में आया।
- राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसके सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं।
- राजनीतिक बैठकों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की भागीदारी तथा संभावित कानूनी परिणामों के बारे में विशिष्ट प्रश्नों पर एक ही उत्तर मिला: "ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।"
- याचिकाकर्ता राज कपिल ने देखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की एक सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग में कार्यरत रहते हुए भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं, जबकि वह पहले भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की सदस्य रह चुकी हैं।
- कपिल का मानना है कि तटस्थता और निष्पक्ष सेवा बनाए रखने के लिए एनसीडब्ल्यू सदस्यों को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होना चाहिए।
- एनसीडब्ल्यू का "कोई सूचना उपलब्ध नहीं है" का जवाब पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाता है, तथा आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों पर संदेह पैदा करता है तथा यह भी कि क्या वे राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण हैं।

## चुनावों को निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाए रखने का भौतिकी और गणित (30 अप्रैल) (GS PAPER II: भारत में चुनाव)

**जबकि गणितीय विश्लेषण चुनाव के लिए एक एल्गोरिदम को तेज करने में मदद करता है, एक भौतिकी परिप्रेक्ष्य निदान कर सकता है कि क्या इसे व्यवहार में उचित रूप से लागू किया गया है। चुनाव के विज्ञान को अभी लंबा रास्ता तय करना है लेकिन दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए, 2024 के चुनाव आशा प्रदान करते हैं कि भविष्य उनके हाथों में है**

PatrioticIAS

- 2024 में लगभग 60 राष्ट्रीय चुनाव होंगे, जिनमें दो अरब लोग शामिल होंगे, जिनमें भारत के चल रहे राष्ट्रीय चुनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव भी शामिल हैं।
- दुनिया भर में चुनावों की विशेषता भावनाओं, आकांक्षाओं, प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं और कभी-कभी हिंसा होती है।
- तमाम अव्यवस्थाओं के बावजूद चुनाव प्रक्रिया के पीछे वैज्ञानिक आधार है.
- लगभग 2,500 साल पहले, प्राचीन एथेंस में चुनाव का प्रारंभिक रूप था जहां भाग्य के आधार पर उम्मीदवारों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता था।
- चुनाव प्रचार या प्रभाव उम्मीदवारों की मदद नहीं कर सका क्योंकि जीत का मानदंड यादृच्छिक चयन पर आधारित था।
- तमिलनाडु के उथिरामेरुर में दसवीं शताब्दी के चोल शिलालेखों से ग्राम प्रतिनिधियों के चयन के लिए ' कुदावोलाई ' प्रणाली का पता चलता है।
- लोगों द्वारा वोट किए गए लोगों में से एक उम्मीदवार को यादृच्छिक रूप से चुनकर अंतिम विकल्प बनाया गया था।

**' सबसे पहले पोस्ट के बाद ' प्रणाली?**

- चुनावों का अध्ययन करने वाले सामाजिक विकल्प सिद्धांतकार और गणितज्ञ प्राचीन एथेंस अनुमोदन मतदान प्रणाली को यादृच्छिक विकल्प कहते हैं।
- हालाँकि, यह प्रक्रिया वास्तव में लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित करने में विफल रहती है, जिससे आलोचना होती है।
- गणित के अनुसार, उम्मीदवारों को चुनने के सही तरीके के प्रश्न का कोई सरल उत्तर नहीं है।
- भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में अपनाई जाने वाली फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (एफपीटीपी) प्रणाली में कमियां हैं।
- आलोचक कई संसदों में लोकप्रिय वोट शेयर और सीट शेयर के बीच असंगत अंतर को उजागर करते हैं।
- उदाहरण के लिए, 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में, आम आदमी पार्टी ने 54% लोकप्रिय वोट हासिल किया, लेकिन 96% सीटें हासिल कीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 32% वोट और केवल 4% सीटें जीतीं।
- एफपीटीपी प्रणाली में विजेता अक्सर 50% से कम वोट शेयर हासिल करते हैं, जिससे अल्पमत सरकारें बनती हैं।
- भारत में किसी भी सरकार ने कभी भी 50% वोट शेयर को पार नहीं किया है, और 1931 में केवल एक बार ब्रिटेन में किसी सरकार के पास 50% से अधिक वोट शेयर था।
- आलोचना के बावजूद, एफपीटीपी प्रणाली का अपनी सरलता के कारण व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

**कोंडोरसेट और बोर्डा सिस्टम**

- बेहतर चुनावी प्रणालियों के लिए गणितीय विश्लेषण 13वीं शताब्दी में रेमन लुल ने अपनी पुस्तक डी आर्टे एलेकियोनिस में लिखा था ।
- लुल्ल का एल्गोरिदम यह सुनिश्चित करता है कि विजेता, जब एक दूसरे दावेदार के खिलाफ तुलना की जाती है, तो उसे 50% से अधिक वोट मिलते हैं और वह सबसे पसंदीदा उम्मीदवार होता है।
- यह विधि, जिसे अब कोंडोरसेट प्रणाली कहा जाता है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी गणितज्ञ निकोलस डी कोंडोरसेट द्वारा फिर से खोजी गई थी।

PatioticIAS

- एफपीटीपी से बेहतर होते हुए भी, कॉन्डोर्सेट प्रणाली जटिल हो सकती है और उम्मीदवारों के हेरफेर की संभावना के कारण राष्ट्रीय चुनावों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है।
- कुछ छोटे संगठन नेताओं और बोर्ड सदस्यों के चुनाव के लिए कोंडोरसेट प्रणाली का उपयोग करते हैं।
- फ्रांसीसी गणितज्ञ जीन-चार्ल्स डी बोर्डा द्वारा 1784 में प्रस्तावित बोर्डा चुनावी प्रक्रिया एक अन्य विकल्प है।
- यह प्रणाली इंडियन प्रीमियर लीग जैसे खेल टूर्नामेंटों में देखी जाने वाली रैंक-आधारित वोटिंग के समान है।
- मतदाता प्रत्येक उम्मीदवार को मतपत्र पर रैंक देते हैं, और मत पुनर्वितरण के माध्यम से विजेता को कम से कम 50% वोट मिलने की गारंटी होती है।
- मत पुनर्वितरण में द्वितीय और तृतीय वरीयता के मतों को तब तक जोड़ा जा सकता है जब तक कि उम्मीदवार 50% की सीमा पार नहीं कर लेता।

**क्या आर.वी.एस. में कोई समस्या है?**

- भारत के राष्ट्रपति का चुनाव रैंक-आधारित मतदान प्रणाली (आरवीएस) का उपयोग करके किया जाता है।
- 1969 में वी.वी. गिरि राष्ट्रपति पद पर विजयी हुए, क्योंकि किसी भी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के 50% वोट नहीं मिले थे।
- दूसरी वरीयता के वोट जोड़ने के बाद, गिरि 50.8% तक पहुंच गए और नीलम संजीव रेड्डी को हरा दिया।
- कोंडोरसेट की तरह मूल बोर्डा पद्धति, भारत जैसे बड़े चुनावों में लागू करना जटिल और चुनौतीपूर्ण है।
- अमेरिकी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता केनेथ एरो ने 1951 में साबित किया कि आरवीएस चुनावों में आवश्यक कुछ निष्पक्षता मानदंडों के साथ संघर्ष कर सकता है।
- आरवीएस चुनाव में तीन उम्मीदवारों (ए, बी, और सी) और नौ मतदाताओं द्वारा अपनी प्राथमिकताओं की रैंकिंग के साथ, परिणाम निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं।
- एरो के प्रमेय का दावा है कि आरवीएस चुनावों में, जहां सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार निर्वाचित होने में विफल रहता है, वहां परिणाम अपरिहार्य होते हैं।
- उदाहरण के लिए, यदि उम्मीदवार बी चुनाव से हट जाता है, तो समान वोट वितरण के बावजूद परिणाम बदल सकता है, जिससे अनुचित परिणाम हो सकते हैं।

**गणित, भौतिकी कैसे मदद कर सकते हैं?**

- गणित चुनाव प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है , जबकि भौतिकी दृष्टिकोण चुनावी प्रणालियों की परवाह किए बिना सार्वभौमिक पैटर्न की तलाश करता है।
- भौतिकी में, बड़े पैमाने पर अव्यवस्था से व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, ठीक उसी तरह जैसे गुब्बारे के अंदर अणु दबाव पैदा करते हैं।
- सांख्यिकीय भौतिकी से पता चलता है कि चुनाव संबंधी आंकड़ों में उभरते पैटर्न मजबूत हैं और विशिष्ट विवरणों से स्वतंत्र हैं।
- इन पैटर्नों से चुनावी कदाचार का पता लगाया जा सकता है तथा चुनावों में निष्पक्षता या उसकी कमी का संकेत दिया जा सकता है।
- गणितीय विश्लेषण चुनाव एल्गोरिदम को धारदार बनाता है, जबकि भौतिकी का परिप्रेक्ष्य यह आकलन करता है कि एल्गोरिदम का क्रियान्वयन निष्पक्ष रूप से हुआ है या नहीं।
- चुनावों का विज्ञान विकसित हो रहा है, और 2024 के चुनाव दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आशा की किरण हैं तथा उन्हें भविष्य के लिए सशक्त बनाएंगे।

PatriotIAS

# हृदयस्थल के मामले (30 अप्रैल)

- हिंदी पट्टी अक्सर दिल्ली में सरकार तय करती है.
- बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड की 189 लोकसभा सीटों में से 71 पर पहले दो चरणों में मतदान हो चुका है।
- छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जहां भाजपा ने पिछले साल विधानसभा चुनाव जीते थे, वहां दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों के बीच सीधा मुकाबला है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च को मतदान अधिसूचना से पहले बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है.
- मोदी ने अगली सरकार के गठन पर भरोसा जताते हुए कैबिनेट से उसके पहले 100 दिनों की योजना का मसौदा तैयार करने को भी कहा।
- विपक्ष ने कमजोर स्थिति से कम उत्साह के साथ प्रचार शुरू किया.
- इंडिया ब्लॉक के घटक अभी भी सीट-बंटवारे के फॉर्मूले पर विवाद कर रहे थे।
- चुनावी बांड डेटा का खुलासा करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जैसी हालिया घटनाओं ने आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विपक्ष के अभियान को सक्रिय कर दिया है।
- भाजपा राष्ट्रवाद और हिंदू एकजुटता पर जोर देकर विपक्ष का मुकाबला कर रही है।
- यह विपक्ष को 'संतान धर्म विरोधी' करार देता है और कांग्रेस पर मुस्लिम लीग से प्रभावित घोषणापत्र रखने का आरोप लगाता है।
- भाजपा के '400-प्लस' नारे ने हिंदू निम्न वर्ग के बीच भय पैदा कर दिया है, जिससे रक्षात्मक कार्रवाई शुरू हो गई है।
- संविधान को फिर से लिखने के भाजपा के इरादे का संकेत देने वाले बयानों को ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों द्वारा खतरा माना गया है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मतदान से पहले अपने भाषणों में मतदाताओं को आश्वस्त किया कि संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
- भाजपा मतदाताओं को आश्वस्त करने के लिए अभियान चला रही है कि जातिगत आरक्षण को उनसे कोई खतरा नहीं है और कांग्रेस पर मुसलमानों के लिए आरक्षण की योजना बनाने का आरोप लगा रही है।
- हिंदी प्रदेश में, जहां जाति और सांप्रदायिक पहचान एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, भाजपा की सफलता जातिगत मुद्दों पर हावी होने वाली धार्मिक लामबंदी पर निर्भर करती है।
- कांग्रेस आर्थिक और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसका उद्देश्य गरीब और निम्न जातियों को संगठित करना है।
- भाजपा धन के पुनर्वितरण के बारे में चिंताओं को संबोधित करके समाजवादी तानाशाही का डर पैदा करने का प्रयास कर रही है , जिससे देश के सबसे गरीब तबके को लक्ष्य करने में विरोधाभास पैदा हो रहा है।

# दोहराने का प्रयास (30 अप्रैल) (प्रारंभिक)

### भारत पुरुष बैडमिंटन में अपनी आश्चर्यजनक खिताबी जीत का बचाव करना चाहेगा

- चीन के चेंगदू में चल रहा थॉमस और उबेर कप ओलंपिक से पहले एक महत्वपूर्ण बैडमिंटन टूर्नामेंट है।
- थॉमस कप को बैडमिंटन का 'विश्व कप' माना जाता है।

PatrioticIAS

- भारतीय पुरुष टीम ने 2022 में अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
- मजबूत भारतीय टीम में एचएस प्रणय, लक्ष्य सेन, सात्विकसाईराज जैसे खिलाड़ी शामिल हैं रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी इसे पेरिस ओलंपिक से पहले अपने कौशल का परीक्षण करने के अवसर के रूप में देखते हैं।
- 2022 में मिली जीत ने सात्विकसाईराज और चिराग के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड का काम किया, जिससे उन्हें एशियाई खेलों में सफलता मिली और वे युगल में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए।
- प्रणॉय, भारत के नंबर 1 एकल खिलाड़ी, एक चुनौतीपूर्ण वर्ष के बाद प्रेरणा का लक्ष्य रखते हैं, जबकि लक्ष्य अपने पहले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा है।
- महिला उबेर कप रोस्टर में पीवी सिंधु, अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रैस्टो जैसी ओलंपिक-बाध्य खिलाड़ी शामिल नहीं हैं, जो प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हैं।
- खरब , इशरानी बरुआ और अश्मिता चालिहा जैसे युवा खिलाड़ियों से टूर्नामेंट में चमकने की उम्मीद है।
- यह टूर्नामेंट भारत की महिला एकल प्रतिभा को फिर से निखारने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साइना नेहवाल जैसी खिलाड़ी सेवानिवृत्ति के करीब हैं।
- प्रमुख खिलाड़ियों की कमी के बावजूद, भारत की महिला टीम ने कनाडा और सिंगापुर को हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई करके अपना वादा दिखाया है।
- उबेर कप में महिला टीम के प्रदर्शन से संभावित रूप से नए सितारे उभर सकते हैं।

# ईवीएम-वीवीपैट मामले का फैसला निराशाजनक (30 अप्रैल)

- 1897 में, अमेरिका के इंडियाना राज्य ने पाई (π) का मान 3.20 निर्धारित करने के लिए एक विधेयक पर विचार किया।
- यह विधेयक एडवर्ड गुडविन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने एक दैवीय रहस्योद्घाटन के माध्यम से ज्यामितीय समस्या, "वृत्त का वर्ग" को हल कर लिया है।
- पाई का प्रस्तावित मान गलत था और इससे इंडियाना को शर्मिंदगी उठानी पड़ती।
- इंडियाना सीनेट में गणितज्ञ सी.ए. वाल्डो के प्रयासों से विधेयक पारित नहीं हो सका।
- यह किस्सा इस बात पर प्रकाश डालता है कि वैज्ञानिक सत्य को विधायी या न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से स्थापित नहीं किया जा सकता।
- इसी प्रकार, ई.वी.एम. के वी.वी.पी.ए.टी.-आधारित ऑडिट के लिए "प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 5 ई.वी.एम." के एक समान नमूना आकार के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, सांख्यिकीय नमूनाकरण सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
- वी.वी.पी.ए.टी. पर्चियों का मतदाता सत्यापन यह सुनिश्चित करता है कि वोट "डाले गए के रूप में दर्ज किए गए हैं", लेकिन यह गारंटी नहीं देता कि उन्हें "दर्ज किए गए के रूप में गिना जाएगा।"
- ईवीएम में खराबी या छेड़छाड़ का थोड़ा जोखिम है, इसलिए यादृच्छिक रूप से चयनित ईवीएम के सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नमूना आकार के लिए वीवीपैट पर्चियों की मैन्युअल गिनती की जानी चाहिए।

### एक विशिष्ट मामला

PatriotIAS

- ईवीएम का वीवीपीएटी-आधारित ऑडिट "लॉट स्वीकृति नमूनाकरण" नामक सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण तकनीक का अनुसरण करता है।
- इस तकनीक में, यदि यादृच्छिक नमूने में पाई गई दोषपूर्ण वस्तुओं की संख्या निर्दिष्ट "स्वीकृति संख्या" से कम या उसके बराबर है, तो संपूर्ण लॉट स्वीकार कर लिया जाता है; अन्यथा, इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।
- "दोषपूर्ण ईवीएम" वह है जिसमें खराबी या हेरफेर के कारण ईवीएम गिनती और वीवीपैट गिनती के बीच बेमेल होता है।
- सुप्रीम कोर्ट और भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने ईवीएम की "जनसंख्या" और किसी नमूने में दोषपूर्ण ईवीएम पाए जाने पर अगले कदम के बारे में नहीं बताया।
- यदि किसी नमूने में दोषपूर्ण ईवीएम पाई जाती है, तो जिस पूरी आबादी से नमूना लिया गया था उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए, और शेष सभी ईवीएम के लिए वीवीपैट पर्चियों की मैन्युअल गिनती की जानी चाहिए।
- सांख्यिकीय नमूनाकरण सिद्धांत यह इंगित करता है कि यदि "विधानसभा क्षेत्र में तैनात ई.वी.एम." को जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो अनिवार्य नमूना आकार में दोषपूर्ण ई.वी.एम. का पता लगाने में असफल होने की 95% संभावना है, तथा यदि "संसदीय क्षेत्र में तैनात ई.वी.एम." को जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसकी संभावना 70% है।
- इससे चुनावी शुचिता सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट लागू करने का उद्देश्य कमजोर हो जाता है।

## चुनाव आयोग के दावे के पीछे कारण

- भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने दावा किया है कि ईवीएम गणना और वीवीपैट गणना के बीच कोई विसंगति नहीं है, जो पूरी तरह सच नहीं है।
- कुछ विसंगतियों के संभावित कारण ये हो सकते हैं: ईवीएम ठीक से काम कर रही हैं, निर्धारित नमूना आकार अपर्याप्त है, या दोनों कारण।
- सही कारण में संभवतः दोनों कारक शामिल हैं: ईवीएम की कार्यक्षमता और अपर्याप्त नमूना आकार।
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मामले (2024) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नमूना आकार और ऑडिट प्रोटोकॉल पारदर्शिता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित नहीं किया।
- न्यायालय ने ईसीआई को नमूना आकार के लिए "जनसंख्या" को परिभाषित करने या बेमेल के मामले में अगले कदम स्पष्ट करने के लिए बाध्य नहीं किया।
- एडीआर सहित आलोचकों ने कागजी मतपत्रों की वापसी या वीवीपीएटी पर्चियों के 100% सत्यापन की मांग की, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
- अन्य आलोचकों ने ईवीएम ऑडिट के लिए मनमाने ढंग से "प्रतिशत नमूने" की मांग की, लेकिन इन मांगों को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
- 2019 में न्यायालय के निर्धारित समान नमूना आकार की मनमानी, गैर-सांख्यिकीय और गलत होने के कारण आलोचना की गई थी।

## क्या किया जाने की जरूरत है

- उन सभी तरीकों को जानना अनावश्यक है जिनसे ईवीएम विफल हो सकती हैं या उनमें हेरफेर किया जा सकता है।

PatrioticIAS

- ईवीएम के लिए सांख्यिकीय रूप से सुदृढ़ वीवीपैट-आधारित ऑडिट प्रणाली को लागू करना आवश्यक है।
- बेमेल का पता लगाने में इस प्रणाली की उच्च सटीकता दर 99% या 99.9% होनी चाहिए।
- मिलान प्रक्रिया मतगणना के दिन की शुरुआत में होनी चाहिए, अंत में नहीं।
- यदि ईवीएम गणना और वीवीपैट गणना के बीच एकदम सही मिलान है, तो परिणाम ईवीएम गणना पर आधारित होने चाहिए।
- शेष सभी ईवीएम के लिए वीवीपैट पर्चियों की मैन्युअल गिनती केवल तभी होनी चाहिए जब कोई बेमेल हो, जिसके परिणाम वीवीपैट गणना पर आधारित हों।
- सांख्यिकीय नमूने और "अपवाद द्वारा प्रबंधन" पर आधारित यह दृष्टिकोण एक संतुलन बनाता है और इसे इष्टतम माना जाता है।

# अस्पताल के शुल्कों पर न्यायालय का फैसला, सुधार का अवसर (30 अप्रैल) (GS PAPER II: स्वास्थ्य क्षेत्र)

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी में एक जनहित याचिका को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को निजी क्षेत्र में अस्पताल प्रक्रिया दरों को विनियमित करने का निर्देश दिया।
- उच्च प्रक्रिया दरों और महत्वपूर्ण विविधताओं ने इस निर्देश को प्रेरित किया।
- न्यायालय ने मोतियाबिंद सर्जरी की लागत की तुलना करके इस मुद्दे पर प्रकाश डाला: सरकारी सुविधाओं में लगभग ₹10,000 बनाम निजी अस्पतालों में ₹30,000 से ₹1,40,000।
- निर्देश में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 2010 के नियम 9 का हवाला दिया गया है, जो सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर दरें वसूलने को अनिवार्य बनाता है।
- यदि सरकार दरों को विनियमित करने में विफल रहती है, तो न्यायालय ने अस्थायी रूप से केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना दरों का उपयोग करने का सुझाव दिया।
- भारत की स्वास्थ्य सेवा वितरण बाजार-संचालित कीमतों वाले निजी प्रदाताओं पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जिससे अक्षमताएं और असमानताएं पैदा होती हैं।
- यद्यपि प्रस्तावित समाधान मुद्दे को अति सरल बना देता है, फिर भी यह चर्चा और कार्रवाई आरंभ करने की दिशा में उठाया गया सही कदम है।
- इन चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्य बातों में स्वास्थ्य सेवा बाज़ार की जटिलताओं को समझना और व्यापक नियामक उपाय विकसित करना शामिल है।

### मूल्य निर्धारण हेतु बेंचमार्क

- अनियमित बाजार-संचालित स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य में, प्रदाता उच्च कीमतों और संभावित रूप से अनावश्यक देखभाल के माध्यम से लाभ को प्राथमिकता देते हैं।
- "यार्डस्टिक प्रतिस्पर्धा" एक संभावित समाधान है, जहां नियामक प्राधिकरण बाजार अवलोकन के आधार पर बेंचमार्क मूल्य निर्धारित करते हैं।
- भारत में चुनौतियों में विविध रोगी प्रोफाइल, अविश्वसनीय मूल्य डेटा और कमजोर नियामक ढांचे शामिल हैं।
- लंबी प्रतीक्षा अवधि और गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के कारण केवल सरकारी अस्पतालों से प्रतिस्पर्धा पर निर्भर रहना अपर्याप्त है।

Patriot IAS

- मानक उपचार दिशानिर्देश (एसटीजी) नैदानिक आवश्यकताओं, देखभाल की सीमा और प्रक्रियाओं के लिए कुल इनपुट लागत को स्थापित कर सकते हैं, जिससे नैदानिक स्वायत्तता सुनिश्चित होती है।
- एसटीजी स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों का सही मूल्यांकन करते हुए देखभाल में भिन्नता को लेकर उत्पन्न होने वाली उलझनों को दूर करते हैं।
- एस.टी.जी. के कार्यान्वयन के लिए प्रदाता राजस्व को कम भुगतानकर्ताओं से जोड़ना आवश्यक है, तथा प्रतिपूर्ति द्वारा जनसंख्या के अधिकांश व्यय को कवर किया जाना चाहिए।
- हालांकि, यदि प्रदाता वैकल्पिक रूप से अपनी जेब से भुगतान के माध्यम से बाजार तक पहुंच बनाते हैं तो इसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- समन्वित स्वास्थ्य क्रय सुधार आवश्यक हैं, क्योंकि मूल्य निर्धारण के मुद्दे केवल कानूनी समस्याएँ न होकर प्रणालीगत चुनौतियाँ हैं।
- भारत में स्वास्थ्य पर होने वाले आधे से अधिक व्यय को स्वयं वहन करना पड़ता है, जिससे मानकीकृत मूल्य निर्धारण के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न होती है।
- निजी क्षेत्र, जो मुख्य रूप से छोटे पैमाने के प्रदाताओं से बना है, मानकीकृत दरों का विरोध कर सकता है और प्रवर्तन तंत्र को चुनौती दे सकता है।
- यदि प्रदाता निर्धारित दरों का पालन नहीं करते हैं तो नियामक उपायों की व्यवहार्यता के संबंध में प्रश्न बने रहते हैं।

## कमजोर कार्यान्वयन

- कमांड-एंड-कंट्रोल नियम, मूल्य सीमा की तरह, अनुपालन को मजबूर करके व्यवहार को तुरंत प्रभावित कर सकते हैं , लेकिन कमजोर प्रवर्तन से अस्थायी प्रभाव पड़ते हैं।
- प्रवर्तन चुनौतियाँ महत्वपूर्ण हैं, केवल 11 राज्य और सात केंद्र शासित प्रदेश ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं।
- 2017 से स्टेंट और इम्प्लांट की कीमतों पर अंकुश लगाने के राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के प्रयासों में कार्यान्वयन की कमजोरियां भी स्पष्ट हैं।
- डॉक्टरों को जेनेरिक दवाइयां लिखने के लिए बाध्य करने वाले निर्देशों को भी कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- मूल्य मानकीकरण से हितधारकों के बीच गलत प्रोत्साहनों के मूल मुद्दे का समाधान नहीं हो सकेगा।
- एक व्यापक स्वास्थ्य वित्तपोषण सुधार रणनीति की आवश्यकता है, जो मानक उपचार दिशानिर्देशों (एसटीजी) के निर्माण और अपनाने पर चल रहे शोध से सूचित हो।
- एस.टी.जी. के बिना, कम औसत राजस्व वाले अस्पताल बेहतर देखभाल गुणवत्ता का दावा करके मूल्य निर्धारण में हेरफेर कर सकते हैं, जिससे वस्तुनिष्ठ सत्यापन कठिन हो जाता है।

## सीमित डेटा

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने सामान्य स्थितियों के लिए मानक उपचार दिशानिर्देश (एसटीजी) और एक व्यापक लागत रूपरेखा विकसित करने पर काम किया है।
- डायग्नोस्टिक्स-संबंधित समूहों (डीआरजी) का भारतीय संस्करण बनाने के प्रयास चल रहे हैं।
- बीमा उद्योग ने 2010 में अस्पतालों के लिए एसटीजी लागू करना शुरू किया, लेकिन निजी अस्पतालों से सटीक लागत डेटा की कमी के कारण प्रगति सीमित थी।
- हालिया निर्णय स्वास्थ्य प्रणाली की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी प्रक्रियाएं विकसित करने का अवसर प्रस्तुत करता है।

PatronICIAS

- दर मानकीकरण नीतियां व्यवहार्य, आसानी से कार्यान्वयन योग्य और स्थापित मूल्य खोज प्रथाओं पर आधारित होनी चाहिए।
- भविष्य के प्रयासों को मौजूदा स्वास्थ्य वित्तपोषण सुधारों पर आधारित होना चाहिए, प्रत्याशित चुनौतियों का समाधान करना चाहिए और व्यापक हितधारक भागीदारी को शामिल करना चाहिए।

# पोल्ट्री उद्योग (30 अप्रैल)

- औद्योगिक पशुधन उत्पादन में असुरक्षित स्थितियों के कारण विशेषज्ञों द्वारा वर्तमान H5N1 प्रकोप का अनुमान लगाया गया था।
- इन स्थितियों के बारे में खतरे की घंटी एक दशक से अधिक समय से बज रही है।
- यह स्थिति भारतीय पर्यावरण और कानूनी परिप्रेक्ष्य से खेती वाले जानवरों के कल्याण पर चर्चा करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है।
- भारत के पर्यावरण कानूनों और विनियमों को पशु कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य और जैव विविधता संरक्षण के बीच संबंध को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- यह संबंध एक स्वास्थ्य सिद्धांत के महत्व को रेखांकित करता है, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की परस्पर निर्भरता को पहचानता है।

### जैव सुरक्षा मुद्दे का पैमाना

- मुर्गियों से मनुष्यों में H5N1 का पहला संक्रमण 1997 में हांगकांग में हुआ था।
- भारत में, पहला H5N1 मामला 2006 में महाराष्ट्र में दर्ज किया गया था।
- दिसंबर 2020 और 2021 की शुरुआत में एक प्रकोप ने 15 भारतीय राज्यों को प्रभावित किया।
- H5N1 आर्कटिक में ध्रुवीय भालू और अंटार्कटिका में सील और सीगल की मृत्यु का कारण बना है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि H5N1 से मृत्यु दर 52% है।
- एवियन इन्फ्लूएंजा ए (एच5एन1) से अधिकांश मानव संक्रमण संक्रमित पक्षियों या दूषित वातावरण के निकट संपर्क के माध्यम से होते हैं।
- प्रदूषित वातावरण अक्सर पोल्ट्री फार्मों में भीड़भाड़ की स्थिति से निर्मित होता है, जिसे "बैटरी केज" के रूप में जाना जाता है।
- ये स्थितियाँ वायु गुणवत्ता और अपशिष्ट समस्याओं को जन्म देती हैं, गंध, कण पदार्थ और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करती हैं।
- 5,000 से अधिक पक्षियों वाली पोल्ट्री इकाइयों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रदूषणकारी उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- कुछ पोल्ट्री इकाइयों को नियमों का उल्लंघन करने के लिए सीपीसीबी से बंद करने का नोटिस मिला है।
- पोल्ट्री किसानों को बड़े कर्ज, विशेष कौशल, बाजार में अस्थिरता और उद्योग प्रथाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- एंटीबायोटिक्स का उपयोग आमतौर पर पोल्ट्री फार्मिंग में रोगनिरोधी और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
- विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रोटीन की बढ़ती मांग के कारण पशुओं में एंटीबायोटिक का उपयोग बढ़ेगा।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यधिक महत्वपूर्ण के रूप में वर्गीकृत एंटीबायोटिक्स को मुर्गीपालन में निवारक उपयोग के लिए किसानों को व्यापक रूप से बेचा जाता है।

PatriotICIAS

- इस पद्धति में बीमारी और मृत्यु दर के जोखिम को कम करने के लिए एक दिन के चूज़ों को एंटीबायोटिक्स दी जाती है।
- पोल्ट्री फार्मों में भीड़भाड़ और अस्वास्थ्यकर स्थितियों का पशु कल्याण और खाद्य सुरक्षा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
- इन फार्मों से उत्पन्न उत्सर्जन, बहिःस्राव और ठोस अपशिष्ट मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं।
- इन मुद्दों के समाधान के लिए कानूनी और नियामक तंत्रों की तत्काल निगरानी और प्रवर्तन की आवश्यकता है।
- इन खेतों से उर्वरक के रूप में उपयोग के लिए एकत्र किया गया मल भूमि की क्षमता से अधिक हो जाता है और प्रदूषक बन जाता है।
- किसान फसल के नुकसान और कचरे के ढेर में मक्खियों के पनपने जैसे रोगवाहकों की शिकायत करते हैं।
- निवासी घर के अंदर कीटनाशकों का छिड़काव करने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं।
- पशुओं को गहन कारावास में रखना पशु क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम, 1960 का उल्लंघन है।
- इन सुविधाओं पर परिचालन गतिविधियों से पीसीए अधिनियम का उल्लंघन करते हुए जानवरों को अनावश्यक दर्द और पीड़ा होती है।

### कानूनी सुधार का मार्ग

- 2017 में भारत के 269वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने मुर्गी पालन में गैर-चिकित्सीय एंटीबायोटिक उपयोग के कारण एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला।
- इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जानवरों के लिए रहने की स्थिति में सुधार से लगातार एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता कम हो सकती है, जिससे अंडे और मांस उपभोग के लिए सुरक्षित हो जाएंगे।
- मांस और अंडा उद्योगों में मुर्गियों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से मसौदा नियमों के लिए सिफारिशें की गईं।
- इन नियमों में मौजूदा कानूनों और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप पशु देखभाल, अपशिष्ट प्रबंधन और एंटीबायोटिक उपयोग के लिए दिशानिर्देश शामिल थे।
- हालाँकि, 2019 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अंडा उद्योग के लिए मसौदा नियमों को कमजोर और प्रतीकात्मक माना गया था।
- पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन और प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी की आवश्यकता है, विशेष रूप से सीपीसीबी द्वारा पोल्ट्री उद्योग को अत्यधिक प्रदूषणकारी 'नारंगी श्रेणी' उद्योग के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- बर्ड फ्लू सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

# व्यक्तिगत आयकर और अप्रत्यक्ष कर की बढ़ती हिस्सेदारी (30 अप्रैल)

- हाल के चुनाव अभियान के दौरान, कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र और सामाजिक न्याय और कल्याण पर फोकस ने ध्यान आकर्षित किया।

PatriotICIAS

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना और अधिशेष सरकारी भूमि के वितरण जैसे कांग्रेस के प्रस्तावों को सांप्रदायिक बताकर जवाब दिया।
- कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र का बचाव किया, बढ़ती धन असमानता को संबोधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और किसी भी धार्मिक समूह के प्रति पक्षपात के आरोपों को खारिज कर दिया।
- इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने उत्तराधिकार कर का विचार सुझाया, जो वर्तमान में भारत में लागू नहीं है और यह कांग्रेस के घोषणापत्र का हिस्सा भी नहीं है।
- इस बीच, वित्त मंत्रालय ने अनंतिम आंकड़े जारी किए, जिनसे शुद्ध कर संग्रह में वृद्धि का संकेत मिलता है, विशेष रूप से व्यक्तिगत आयकर और प्रतिभूति लेनदेन कर संग्रह में वृद्धि के कारण।
- शुद्ध कॉर्पोरेट कर संग्रह में मामूली कमी देखी गई, जबकि व्यक्तिगत आयकर और प्रतिभूति लेनदेन कर से राजस्व पिछले वर्ष के कॉर्पोरेट कर राजस्व की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ा।
- ये आंकड़े चल रही राजनीतिक बहस और हाल ही में जारी किए गए कर आंकड़ों को संदर्भ प्रदान करते हैं।

  **चार्ट 1 में** प्रत्येक वर्ष फरवरी तक एकत्रित आंकड़ों के आधार पर सकल कर राजस्व के हिस्से के रूप में कॉर्पोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।
- चार्ट समय के साथ कॉर्पोरेट टैक्स की हिस्सेदारी में कमी की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जबकि व्यक्तिगत आयकर की हिस्सेदारी बढ़ रही है।
- फरवरी 2024 तक, दोनों कर शेयरों के बीच अंतर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, आयकर सकल कर राजस्व का 28% है, जो एक नए शिखर पर पहुंच गया है।
- सितंबर 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लागू किए गए कॉर्पोरेट टैक्स कटौती को दिया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, डेटा से प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी में गिरावट और अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी में वृद्धि का पता चलता है।
- प्रत्यक्ष कर, जैसे कि निगमों और व्यक्तियों की आय पर लगाए गए, को "प्रगतिशील" माना जाता है क्योंकि वे आय के स्तर पर आधारित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च आय के लिए अधिक कर लगते हैं और इसके विपरीत।
- इसके विपरीत, अप्रत्यक्ष करों, जिनमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल हैं, को "प्रतिगामी" माना जाता है, क्योंकि वे सभी उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी आय का स्तर कुछ भी हो।
- **चार्ट 2 में** पिछले वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्यों द्वारा एकत्रित कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का अनुपात दर्शाया गया है।
- चार्ट से पता चलता है कि अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा, जो 1980 के दशक से लगातार घट रहा था, पिछले दशक में फिर से बढ़ने लगा है।
- इसके विपरीत, प्रत्यक्ष करों का हिस्सा, जो लगातार बढ़ रहा था, हाल के वर्षों में लगातार गिरावट का अनुभव कर रहा है।
- **चार्ट 3** दर्शाता है कि व्यक्तिगत आयकर दाखिल करने वाले अधिकांश व्यक्ति वार्षिक ₹1 लाख से ₹5 लाख की आय सीमा में आते हैं।
- इसके विपरीत, सालाना ₹50 लाख से अधिक कमाने वाले व्यक्ति अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं।
- ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना से पता चलता है कि भारत में सबसे अधिक प्रभावी व्यक्तिगत आयकर दरें हैं, जैसा कि **चार्ट 4 में दर्शाया गया है।**

PatrioticIAS

- कुल मिलाकर, डेटा से पता चलता है कि कम आय वाले नागरिक और मध्यम वर्ग के लोग कर के बोझ का एक बड़ा हिस्सा वहन करते हैं।
- यह प्रवृत्ति कुल कर राजस्व में व्यक्तिगत आयकर और अप्रत्यक्ष करों की बढ़ती हिस्सेदारी से प्रेरित है।

# अवर्गीकृत वन (30 अप्रैल) (GS PAPER III: पर्यावरण)

### वन (संरक्षण) अधिनियम संशोधन (एफसीएए) 2023

- 19 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया.
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ( एमओईएफसीसी ) ने इस आदेश का अनुपालन किया।
- **आदेश में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को विभिन्न राज्य विशेषज्ञ समितियों (एसईसी) की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा गया है** ।
- यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अप्रैल में की गई थी।
- यह आदेश वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम (एफसीएए) 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका से संबंधित था।
- याचिका में उठाई गई मुख्य चिंताओं में से एक **अवर्गीकृत वनों की स्थिति के संबंध में थी।**
- एसईसी **रिपोर्ट से इन अवर्गीकृत वनों की पहचान करने की अपेक्षा थी** , लेकिन इस बात पर संदेह था कि उनकी पहचान की गई है या नहीं।

## एफसीएए क्या निर्धारित करता है?

- वन (संरक्षण) संशोधन (एफसीएए) अधिनियम पारित किया गया।
- अवर्गीकृत वन, जो पहले **टीएन गोदावर्मन के तहत संरक्षित थे थिरुमलपाड मामला (1996),** एफसीएए के तहत उनकी सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।
- संरक्षण में इस क्षति के कारण इन वनों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्य विशेषज्ञ समिति (एसईसी) की रिपोर्ट तैयार की जानी थी।
- **इन रिपोर्टों का उद्देश्य स्वामित्व या अधिसूचना स्थिति की परवाह किए बिना, वनों को उनके शब्दकोश अर्थ के अनुसार पहचानना था।**
- **अवर्गीकृत या माने गए वनों सहित सभी प्रकार के वन, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दायरे में आएंगे।**
- यदि कोई परियोजना प्रस्तावक अवर्गीकृत वनों का उपयोग गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए करना चाहता है, तो उसे केन्द्र सरकार से अनुमोदन लेना होगा।
- अवर्गीकृत वन सरकारी निकायों, समुदायों या निजी मालिकों सहित विभिन्न संस्थाओं से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें औपचारिक रूप से वनों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था।

### क्या इन वनों की पहचान कर ली गयी है?

- अवर्गीकृत वनों के संबंध में राज्य विशेषज्ञ समिति (एसईसी) की रिपोर्ट की स्थिति 1996 से तब तक अस्पष्ट थी जब तक कि उन्होंने फिर से ध्यान आकर्षित नहीं किया।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ( एमओईएफसीसी ) ने एक संयुक्त संसदीय समिति को सूचित किया कि एसईसी ने अवर्गीकृत वनों की पहचान की है, जिन्हें दर्ज किया गया है।

Patriotic IAS

- यह प्रतिक्रिया उन चिंताओं के बीच आई है कि प्रस्तावित वन (संरक्षण) अधिनियम संशोधन गोदावर्मन फैसले को कमजोर कर सकता है और अवर्गीकृत वन भूमि को इसके दायरे से बाहर कर सकता है।
- MoEFCC ने समिति को आश्वासन दिया कि संशोधित अधिनियम SEC-पहचान वाले अवर्गीकृत वनों पर लागू होगा।
- हालाँकि, 17 जनवरी को दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में, MoEFCC ने कहा कि उसके पास आवश्यक रिपोर्ट नहीं थी।
- MoEFCC ने अब अपनी वेबसाइट पर SEC रिपोर्ट अपलोड की है, जिससे पता चलता है कि किसी भी राज्य ने अवर्गीकृत वनों की पहचान, स्थिति और स्थान पर सत्यापन योग्य डेटा प्रदान नहीं किया है।
- **ऐसा प्रतीत होता है कि गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एसईसी का गठन ही नहीं किया है।**
- जिन राज्यों ने अपनी रिपोर्ट साझा की है, उनमें से केवल 17 ही न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप हैं।
- **कई राज्यों ने भौतिक कैडस्ट्राल सर्वेक्षण या अवर्गीकृत वन भूमि का सीमांकन नहीं करने के कारणों के रूप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान की गई छोटी अवधि और काम की भारी प्रकृति का हवाला दिया।**

## रिपोर्ट्स क्या कहती हैं?

- केवल नौ राज्यों ने अवर्गीकृत वनों की सीमा के बारे में जानकारी प्रदान की है, जबकि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने आदेश में निर्दिष्ट विभिन्न प्रकार के वन क्षेत्रों पर डेटा साझा किया है।
- **वनों की भौगोलिक स्थिति आमतौर पर राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनी एसईसी रिपोर्टों में निर्दिष्ट नहीं की गई थी। जब भौगोलिक जानकारी प्रदान की जाती थी, तो यह अक्सर आरक्षित या संरक्षित वनों तक ही सीमित होती थी, जो अनावश्यक है क्योंकि यह जानकारी वन विभागों के पास पहले से ही उपलब्ध है।**
- **एसईसी रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाती है, जो वनों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार एकमात्र सरकारी एजेंसी है। उदाहरण के लिए, गुजरात की एसईसी रिपोर्ट सर्वेक्षण के रिपोर्ट किए गए आंकड़े की तुलना में अवर्गीकृत वनों के बहुत छोटे क्षेत्र को इंगित करती है।**
- एसईसी द्वारा जमीनी सत्यापन की कमी के कारण महत्वपूर्ण रूप से वनों की कटाई हो सकती है, क्योंकि जिन वनों की पहचान, सीमांकन और संरक्षण 27 साल पहले किया जाना चाहिए था, वे खतरे में बने हुए हैं।
- **1996-1997 के आधार भूत डेटा के बिना, पिछले कुछ वर्षों में अवर्गीकृत वनों के नुकसान की सीमा निर्धारित करना असंभव है।** उदाहरण के लिए, केरल के एसईसी में पल्लीवासल अनारक्षित क्षेत्र शामिल नहीं है , जो मुन्नार का एक पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र है, जो 2018 की बाढ़ के दौरान भी प्रभावित हुआ था।

## एफसीएए के प्रभाव क्या होंगे?

- अवर्गीकृत वनों की क्षति संभवतः सभी राज्यों में व्यापक रूप से हो रही है तथा इसकी जांच आवश्यक है।
- एसईसी की रिपोर्टें जल्दबाजी में संकलित की गई प्रतीत होती हैं, **तथा सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आसानी से उपलब्ध अभिलेखों से अपूर्ण और असत्यापित आंकड़ों पर निर्भर करती हैं।**

PathfinderIAS

- गोदावर्मन आदेश को लागू करने में विफलता, भारतीय वन नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक खोया हुआ अवसर है , **जिसका लक्ष्य मैदानी क्षेत्रों में 33.3% तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 66.6% वन क्षेत्र प्राप्त करना है।**
- **एमओईएफसीसी ) की ओर से लापरवाही को दर्शाता है और इससे भारत के पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।**
- अधूरी एसईसी रिपोर्टों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, और राष्ट्रीय सरकार को 1996 के फैसले के अनुरूप वन क्षेत्रों की फिर से पहचान, पुनर्प्राप्ति और सुरक्षा के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

# वेनिस पर्यटकों से प्रवेश शुल्क क्यों ले रहा है? (30 अप्रैल) (GS PAPER III: पर्यावरण)

- 25 अप्रैल को इटली के शहर वेनिस ने आगंतुकों के लिए प्रवेश शुल्क लागू किया।
- प्रवेश शुल्क का उद्देश्य शहर में पर्यटन का प्रबंधन करना है।
- वेनिस आने वाले पर्यटकों को अब शहर में प्रवेश के लिए शुल्क देना होगा।
- शुल्क का उद्देश्य वेनिस में पर्यटकों की बड़ी आमद को नियंत्रित करना और भीड़भाड़ को कम करना है।
- ओवरटूरिज्म वेनिस में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, जिससे भीड़भाड़, पर्यावरण संबंधी चिंताएं और स्थानीय बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ता है।
- उम्मीद है कि प्रवेश शुल्क से आगंतुकों की संख्या को नियंत्रित करने और शहर पर ओवरटूरिज्म के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।

### वेनिस प्रवेश शुल्क क्या है?

- सुबह 8:30 से शाम 4 बजे के बीच वेनिस जाने वाले यात्रियों को €5 का शुल्क देना होगा।
- रात भर आने वाले आगंतुकों, साथ ही निवासियों, यात्रियों, छात्रों और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शुल्क से छूट दी गई है।
- प्रवेश शुल्क परीक्षण अवधि का हिस्सा है और केवल वेनिस के ऐतिहासिक केंद्र में प्रवेश के लिए लागू होता है ।
- यह शुल्क 25 अप्रैल से 14 जुलाई तक 29 व्यस्त दिनों में लागू किया गया है।
- आगंतुक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं।
- शुल्क का भुगतान न करने पर €50 से €300 तक का जुर्माना लग सकता है।

### क्या प्रतिक्रिया रही?

- कुछ स्थानीय लोग प्रवेश शुल्क की आलोचना करते हैं, उन्हें डर है कि यह वेनिस को "थीम पार्क" में बदल देगा और पर्यटकों को सेंट मार्क स्क्वायर और रियाल्टो ब्रिज जैसे प्रमुख आकर्षणों को देखने से नहीं रोकेगा।
- निवासियों के संघों ने इस शुल्क को एक राजनीतिक कदम के रूप में देखते हुए विरोध किया है, जो भीड़भाड़ वाले मुद्दों को संबोधित करने की संभावना नहीं है।
- पहले दिन, 5,500 लोगों ने टिकट खरीदे, जिससे €27,500 उत्पन्न हुए, संभवतः परिचालन लागत को कवर किया गया।

PatriotIAS

- मेयर लुइगी ब्रुगनारो इसे भीड़भाड़ को कम करने, लंबे समय तक रहने को प्रोत्साहित करने और स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के एक प्रयोग के रूप में देखते हैं।
- इस पहल का उद्देश्य डेटा एकत्र करने और आगंतुक प्रवाह का प्रबंधन करते हुए निवासियों और आगंतुकों के बीच एक नया संतुलन स्थापित करना है।
- आगंतुक डेटा के संग्रह के संबंध में गोपनीयता संबंधी चिंताएँ भी उठाई गई हैं।

## क्या वेनिस में अत्यधिक भीड़भाड़ एक मुद्दा है?

- अतिपर्यटन के कारण यूनेस्को की खतरे की सूची में सूचीबद्ध होने से बचने के लिए वेनिस के प्रयासों के बाद पर्यटक कर लागू किया गया है।
- ओवरटूरिज्म ने वेनिस के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाया है, जिससे शहर की स्थिरता को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।
- वेनिस ने अपनी निवासी आबादी में उल्लेखनीय गिरावट का अनुभव किया है, 1950 के दशक से 1,20,000 से अधिक निवासियों ने छोड़ दिया है, जो घटकर 50,000 रह गई है।
- ऐतिहासिक केंद्र ने 2022 में 3.2 मिलियन रात भर मेहमानों और 30 मिलियन से अधिक दिन-यात्रा करने वालों की मेजबानी की, जिससे भीड़भाड़ हुई।
- जब दिन में यात्रा करने वालों की संख्या 30,000-40,000 तक पहुंच जाती है, तो वेनिस में भीड़भाड़ एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाती है।
- ऐसा माना जाता है कि रात में आने वाले मेहमानों की तुलना में दिन में यात्रा करने वाले लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था में न्यूनतम योगदान करते हैं।

## स्थिरता के बारे में क्या?

- वेनिस का लक्ष्य यूनेस्को और पर्यावरणविदों के दबाव के जवाब में पर्यटकों के साथ अधिक टिकाऊ संबंध स्थापित करना है।
- इस प्रयास के एक भाग के रूप में, पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए बड़े क्रूज जहाजों को गिउडेका नहर और सेंट मार्क स्क्वायर से गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- वेनिस प्रवेश कर लागू होने से सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिसमें शहर में अनधिकृत एयरबीएनबी की संख्या में कमी आना भी शामिल है।
- अवैध किराये के संचालकों को वैध तरीके से पंजीकरण कराना होगा तथा कर का भुगतान करना होगा, क्योंकि रात्रि विश्राम के लिए आने वाले आगंतुकों को अपने आवास की जानकारी का खुलासा करना होगा।

## अन्य लोकप्रिय स्थानों के बारे में क्या?

- एम्स्टर्डम, बार्सिलोना और लंदन जैसे कई यूरोपीय शहरों में अतिपर्यटन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
- हाल ही में, हजारों की संख्या में स्पेनी नागरिकों ने कैनरी द्वीप समूह में विरोध प्रदर्शन किया तथा वहां आने वाले पर्यटकों की संख्या सीमित करने की मांग की।
- सेविले के मुख्य प्लाजा डे एस्पाना में अब प्रवेश शुल्क देना होगा।
- पर्यटन स्थलों पर प्रवेश शुल्क लगाने का चलन बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, इतालवी शहर बागनोरेगियो ने ढहते बुनियादी ढांचे के कारण बचाव प्रयासों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए 2018 में शुल्क लागू किया था।

PatriotiCIAS

- उत्तरी वेल्स में स्थित पोर्टमेरियन, वेल्स में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है, तथा यह उन कुछ ब्रिटिश शहरों में से एक है, जहां प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क लिया जाता है।

### क्या भारत भी इसका अनुसरण कर सकता है?

- भारत में अनेक पर्यटक आकर्षण हैं जो विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
- प्रवेश शुल्क या पर्यटक कर लागू करने से भारत को पर्यटन से महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित करने में मदद मिल सकती है।
- ऐसे उपायों से उन पर्यटकों पर भी रोक लग सकती है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में बहुत कम योगदान देते हैं।
- पर्यटक प्रवाह और राजस्व का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करके, भारत पर्यटन के लाभों को अधिकतम कर सकता है, तथा भीड़भाड़ और पर्यावरण क्षरण जैसे नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है।

# मितव्ययिता का विरोधाभास: क्या बचत में वृद्धि से निवेश में कमी आती है? (30 अप्रैल) (GS PAPER III: अर्थव्यवस्था (बचत और निवेश)

- बचत का विरोधाभास यह बताता है कि व्यक्तिगत बचत बढ़ाना भले ही लाभदायक प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में इससे समग्र अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।
- आम धारणा के विपरीत, व्यक्तिगत बचत दरों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था की कुल बचत में वृद्धि के बजाय कमी हो सकती है।
- यह अवधारणा इस धारणा को चुनौती देती है कि उच्च व्यक्तिगत बचत सीधे अर्थव्यवस्था के लिए अधिक समग्र बचत में परिवर्तित हो जाती है।
- यह व्यापार चक्र के अल्प-उपभोग सिद्धांतों से जुड़ा है, जो सुझाव देते हैं कि आर्थिक मंदी का परिणाम कम उपभोक्ता व्यय और अत्यधिक बचत है।
- व्यवहार और व्यापक आर्थिक परिणामों के बीच जटिल संबंध को उजागर करता है ।

### सिद्धांत की उत्पत्ति

- बचत के विरोधाभास को ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1936 में अपनी पुस्तक "द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी" में लोकप्रिय बनाया था।
- कीन्स से पहले, अर्थशास्त्री विलियम टी. फोस्टर और वाडिल कैचिंग्स ने "बिजनेस विदाउट ए बायर" और "द डिलेमा ऑफ थ्रिफ्ट" जैसी रचनाओं में इसी प्रकार के विचारों पर चर्चा की थी।
- कीन्ज़ियन अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि अधिक बचत अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इससे उपभोक्ता खर्च कम हो जाता है।
- उनका मानना है कि उपभोक्ता खर्च निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास को गति देता है।
- कीन्सियन सिद्धांत के अनुसार, यदि उपभोक्ता अधिक बचत करते हैं और कम खर्च करते हैं, तो इससे व्यवसायों का लाभ कम हो सकता है तथा आगे निवेश हतोत्साहित हो सकता है।

PatriotICIAS

- उपभोक्ता व्यय में इस कमी के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में समग्र बचत और निवेश में कमी आ सकती है।
- कीन्ज़ियन अर्थशास्त्री आर्थिक मंदी के दौरान उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप, जैसे सरकारी खर्च में वृद्धि, की सिफारिश करते हैं।
- उनका मानना है कि उपभोक्ता व्यय में उतार-चढ़ाव व्यापार चक्र का प्राथमिक चालक है, और सरकारी नीतियों का लक्ष्य आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए उपभोक्ता व्यय को स्थिर और प्रोत्साहित करना होना चाहिए।

### विचार की आलोचनाएँ

- बचत के विरोधाभास के आलोचकों का तर्क है कि अधिक बचत करना अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं है।
- उनका तर्क है कि उपभोक्ता व्यय में कमी से अनिवार्यतः निवेश में भी कमी नहीं आती।
- आलोचकों के अनुसार, उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च न किया गया धन आमतौर पर बचा लिया जाता है और फिर निवेश कर दिया जाता है, जिससे निवेश में वृद्धि होती है।
- अधिक बचत से पूंजीपतियों की ओर से उत्पादन के कारकों की मांग बढ़ सकती है, जिससे उपभोक्ता मांग में किसी भी कमी की भरपाई हो सकती है।
- आलोचकों का कहना है कि कम उपभोक्ता खर्च पूंजीपतियों को दीर्घकालिक परियोजनाओं में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करता है, जिन्हें पहले अव्यवहारिक माना जाता था।
- भविष्योन्मुखी निवेशों के लिए बचत का यह पुनर्आबंटन दीर्घावधि में उच्च आर्थिक उत्पादन का कारण बन सकता है।
- मुक्त अर्थव्यवस्था में, पूंजीपति दूर के भविष्य में वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकताओं के आधार पर निवेश निर्णयों को समायोजित करते हैं।
- आलोचकों का तर्क है कि बचत का विरोधाभास उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव के जवाब में निवेश आवंटन की गतिशील प्रकृति को नजरअंदाज करता है ।

## जी-7 मंत्री 2030 तक कोयला-लाल बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने पर सहमत हुए (30 अप्रैल)

- जी-7 ऊर्जा मंत्री कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की समयसीमा पर सहमत हुए हैं।
- यह समझौता दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र के COP-28 जलवायु शिखर सम्मेलन में दुनिया द्वारा कोयला, तेल और गैस से दूर जाने की प्रतिज्ञा के बाद आया है।
- यह समझौता ट्यूरिन में ग्रुप ऑफ सेवन की बैठक के दौरान हुआ।
- ब्रिटिश परमाणु और नवीकरणीय मंत्री एंड्रयू बॉवी के अनुसार, 2030 के दशक की पहली छमाही में कोयले को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करने पर एक समझौता हुआ है।
- एक यूरोपीय सूत्र ने पुष्टि की कि जी-7 2030 की पहली छमाही तक संयंत्रों को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है।
- जी-7 के नवीनतम मसौदे में 2030 के दशक के प्रथम छमाही के दौरान या 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की सीमा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में जारी कोयला बिजली उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

PatriotIAS

- इतालवी पर्यावरण एवं ऊर्जा सुरक्षा मंत्री गिल्बर्टो पिचेटो फ्रेटिन ने इस समयरेखा को एक परिकल्पना बताया, जो चल रही राजनीतिक चर्चाओं का संकेत है।
- एक फ्रांसीसी राजनीतिक सूत्र ने बताया कि एक महत्वाकांक्षी समझौते की दिशा में प्रगति हो रही है, विशेष रूप से कोयले के प्रभावी चरणबद्ध उन्मूलन पर।
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने अत्यधिक औद्योगिक देशों से आग्रह किया कि वे जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव, धन और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएं।
- स्टील ने इस धारणा की आलोचना की कि जी-7 जलवायु परिवर्तन से निपटने में उनके नेतृत्व के महत्व पर जोर देते हुए साहसिक जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व नहीं कर सकता है।

## एनसीएईआर

- **भारत का प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक:** एनसीएईआर भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्वतंत्र, गैर-लाभकारी आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान है। 1956 में स्थापित, एनसीएईआर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत प्रतिष्ठा रखता है।

एनसीएईआर भवन

- **मुख्य फोकस:** भारत की वृद्धि और विकास के लिए प्रासंगिक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर कठोर अनुसंधान और नीति विश्लेषण आयोजित करता है।
- **डेटा-संचालित दृष्टिकोण:** गहन आर्थिक विश्लेषण के साथ बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह क्षमताओं (विशेष रूप से घरेलू सर्वेक्षण) का एक विशिष्ट संयोजन नियोजित करता है।

**गतिविधियाँ एवं सेवाएँ**

- **आर्थिक अनुसंधान: व्यापक आर्थिक** मॉडलिंग , कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचे, मानव विकास, सार्वजनिक वित्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे क्षेत्रों को शामिल करता है ।
- **नीति सिफ़ारिशें:** भारत में आर्थिक नीतियों को आकार देने के लिए सरकार, नीति निर्माताओं और निजी क्षेत्र को साक्ष्य-आधारित सिफ़ारिशें प्रदान करता है।
- **डेटा संग्रह:** महत्वपूर्ण घरेलू सर्वेक्षण करता है, जिसमें भारत मानव विकास सर्वेक्षण (आईएचडीएस) जैसे प्रतिष्ठित अध्ययन भी शामिल हैं।
- **प्रकाशन:** रिपोर्ट, वर्किंग पेपर्स, किताबों और पत्रिकाओं "मार्जिन" और "अर्थ विज्ञान " के माध्यम से शोध निष्कर्षों का प्रसार करता है।
- **क्षमता निर्माण:** अधिकारियों और शोधकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और अन्य कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करता है।

**शासन एवं नेतृत्व**

- **स्थिति:** भारतीय कानून के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत, भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (SIRO) के रूप में मान्यता प्राप्त
- **राष्ट्रपति:** नंदन नीलेकणि (इन्फोसिस के सह-संस्थापक, भारत के आधार कार्यक्रम के वास्तुकार)
- **महानिदेशक:** पूनम गुप्ता
- **फंडिंग:** भारत सरकार, राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समर्थन प्राप्त होता है

**सहयोग एवं आउटरीच**

- **एनसीएईआर-एनबीईआर नीमराणा सम्मेलन:** राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो (एनबीईआर) के सहयोग से एक वार्षिक उच्च-स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करता है, जिसमें भारत और अमेरिका के शीर्ष शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को भाग लेने का अवसर मिलता है।
- **सार्वजनिक कार्यक्रम:** प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर जनता, हितधारकों और मीडिया के साथ जुड़ने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करता है।

Patriot IAS

## अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

- **स्थापना:** 1944 (1945 में परिचालन शुरू हुआ)
- **उद्देश्य:** आईएमएफ वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम करता है।
- **सदस्यता:** 190 सदस्य देश
- **मुख्यालय:** वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका
- **महत्वपूर्ण कार्यों**
    - **निगरानी:** आईएमएफ अपने सदस्य देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के आर्थिक और वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी करता है, संभावित जोखिमों को उजागर करता है और नीतियों पर सलाह देता है।
    - **उधार:** भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे उन्हें स्थिरता और आर्थिक विकास बहाल करने में मदद मिलती है।
    - **क्षमता विकास:** सदस्य देशों को उनकी संस्थागत क्षमता और आर्थिक प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और नीति सलाह प्रदान करता है।

## विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

- **स्थापित:** 1995
- **उद्देश्य:** डब्ल्यूटीओ राष्ट्रों के बीच वैश्विक व्यापार को विनियमित करने वाला प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य व्यापार का सुचारू, पूर्वानुमानित और मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करना है।
- **सदस्यता:** 164 सदस्य देश
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड

- **महत्वपूर्ण कार्यों:**
    - **व्यापार समझौतों पर बातचीत:** डब्ल्यूटीओ सदस्यों के लिए बहुपक्षीय व्यापार नियमों और समझौतों पर बातचीत करने और स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
    - **व्यापार विवादों का निपटान:** सदस्य देशों को व्यापार विवादों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुलझाने में मदद करने के लिए एक विवाद निपटान तंत्र प्रदान करता है।
    - **व्यापार नीतियों की निगरानी:** यह सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है कि वे डब्ल्यूटीओ के नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हैं।
    - **क्षमता निर्माण:** विकासशील और अल्प-विकसित देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली में भाग लेने की उनकी क्षमता को मजबूत करने में सहायता करता है।

Patriot IAS